क्रम-संख्या–221

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 15 जुलाई, 2026

आषाढ़ 24, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

उपभोक्ता मामले अनुभाग–1

संख्या 1 / 1397083 / 2026 / 84-1099-24–2025

लखनऊ, 15 जुलाई, 2026

अधिसूचना

सा0प0नि0–46

विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) की धारा 53 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड(ङ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके जिस नियमावली को जारी करने का प्रस्ताव करते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (4) के अधीन यथा अपेक्षित समस्त सम्बंधितों की सूचना के लिए और उसके सम्बंध में आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है;

2–प्रस्तावित नियमावली के सम्बंध में आपत्तियां या सुझाव यदि कोई हो, प्रमुख सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजा जायेगा। केवल ऐसी आपत्तियों और सुझावों पर ही विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जायेंगे।

प्रारुप नियमावली

उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026

अध्याय–एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2026 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में अंतिम रूप से प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2—(1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 1 सन् 2010) से है;

(ख) "सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश द्वारा इस नियमावली में विनिर्दिष्ट बाट या माप का सत्यापन करने के लिये अनुमोदित किया गया है;

(ग) "प्रधान अधिकारी" का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रभारी है;

(घ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में उनके लिये क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय— दो

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में बाट और माप का सत्यापन

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के सम्बंध में सामान्य उपबंध

3—(1) समय-समय पर यथासंशोधित विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियमावली,2013 में यथा विनिर्दिष्ट और प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट बाट और मापों का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

(2) विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24(3) के अनुसार मान्यता प्राप्त सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्रों की सूची सरकारी गजट में अधिसूचित करायी जायेगी।

(3) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापन सेवाओं के प्रदान करने की रीति विनिर्दिष्ट कर सकता है।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में यथा विनिर्दिष्ट मानक बाट या माप और अन्य ऐसे उपकरण और उपस्कर, जैसा कि नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान द्वारा सुझाव दिया जाय, अनुरक्षित करेगा।

अध्याय— तीन

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन

4—(1) विनिर्दिष्ट बांट या माप के सत्यापन के लिए मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति इस नियमावली के अधीन द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रपत्र में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश को एक आवेदन प्रस्तुत करेगा—

(2) नियंत्रक, अपनी संस्तुति के साथ, इसे राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान विभाग की संस्तुति पर विचार करने के पश्चात, इसे अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकती है।

(3) राज्य सरकार अपनी अनुमोदन प्रदान करने की शक्ति नियंत्रक या किसी अन्य अधिकारी को, जैसा कि वह उचित समझे, को प्रत्यायोजित कर सकती है।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के अनुमोदन के लिये संस्तुति करते समय नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान निम्नलिखित पर विचार करेगा—

(क) भूमि और भवन की उपलब्धता और पहुंच;

(ख) मापन उपस्करों, परीक्षण सुविधाओं और अन्य अवसंरचना की पर्याप्तता;

(ग) तकनीकी रूप से अर्ह जनशक्ति की उपलब्धता;

(घ) ग्राहकों के लिये दक्षतापूर्ण व समयबद्ध सेवा प्रदान करने की क्षमता;

(ङ) संपर्क संख्या सहित शिकायत निवारण हेतु क्रियाविधि;

(च) द्वितीयक मानक प्रयोगशाला या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अभिकरण द्वारा अपने उपस्कर को आवधिक रूप से सत्यापित करने पर रजामंदी;

(छ) निदेशक, विधिक माप विज्ञान, भारत सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्थाओं में अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने पर रजामंदी;

(ज) अन्य कोई कारक, जो नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान की राय में, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के उपयुक्त कार्यकरण को प्रभावित करेगा।

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के संचालन हेतु निबंधन और शर्ते

5–(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र किसी भी अमानक बाट या माप का सत्यापन नहीं करेगा।

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र उन बाट या माप का सत्यापन करेगा जो उसके समक्ष सत्यापन हेतु अपेक्षित फीस के साथ आवेदित किये जायेंगे। जिसमें निम्नलिखित उपदर्शित होगा–

(क) विनिर्माता अथवा आयातक अथवा व्यौहारी अथवा उपयोगकर्ता का नाम व पूरा पता।

(ख) उस कारखाना अथवा परिसर की अवस्थिति जहां पर ऐसे बाट या माप का विनिर्माण किया गया है अथवा आयात किया गया है अथवा प्रयोग किया जाना आशयित है।

(ग) सत्यापित किये जाने वाले बाट या माप की अधिकतम और न्यूनतम क्षमता, ई अथवा डी वैल्यू, यथार्थता वर्ग।

(3) सत्यापन के उपरांत सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(4) सत्यापन प्रमाण-पत्र विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 यथाविनिर्दिष्ट अवधि के लिये विधिमान्य होगा विहित शुल्क के भुगतान पर उसे वांछित अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकेगा।

(5) सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर सत्यापित किये गये बांटो और मापों का विवरण राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(6) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र को सुगम पहचान और अभिलेख के लिये एक विशिष्ट कोड संख्या जारी करेगा।

(7) पात्रता की शर्तों को पूरा न करने की दशा में राज्य सरकार आवेदन अस्वीकृत कर देगी और आवेदक को इस बारे में लिखित संसूचना भेजेगी।

(8) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जब कभी आवश्यक हो परीक्षण केन्द्र का दौरा कर सकता है और प्रधान अधिकारी निरीक्षण की अनुमति देगा, और बाट और माप के सत्यापन के संबंध में अभिलेखों को प्रस्तुत करने सहित इस प्रयोजन के लिये समस्त सहायता प्रदान करेगा।

(9) प्रधान अधिकारी, उसके द्वारा सत्यापित बाट और माप, संग्रहित शुल्क, प्रत्येक परीक्षण के लिये लिया गया समय और ऐसी अन्य सुसंगत सूचनाऐं जो अपेक्षित हों, के सम्बंध में नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(10) प्रधान अधिकारी, बाट और माप का सत्यापन करते समय विधिक माप विज्ञान (सामान्य) नियमावली, 2011 में दी गयी प्रक्रिया का अनुकरण करेगा ।

(11) सक्षम प्राधिकारी, सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से यथास्थिति ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा की गयी किसी गलती या सरकार के अनुदेशों के उल्लंघन के कारण हुए नुकसान हेतु किसी दावे की प्रतिपूर्ति के लिये पर्याप्त तृतीय पक्ष दायित्व बीमा लिए जाने की अपेक्षा कर सकता है।

अध्याय– चार

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र से सम्बंधित अन्य उपबंध

प्रधान अधिकारी की अर्हता एवं अनुभव

6–(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी की अर्हताएं भारत सरकार द्वारा विहित समय-समय पर यथासंशोधित विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013, के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होगी।

(2) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र के प्रधान अधिकारी का अनुभव भारत सरकार द्वारा विहित समय-समय पर यथासंशोधित विधिक माप विज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियमावली, 2013, के अधीन यथाविनिर्दिष्ट होगा ।

प्रधान अधिकारी के कर्तव्य

7—सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रधान अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व होंगे, अर्थातः—

(क) एक स्वतंत्र इकाई के रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को स्थापित करना और संचालित करना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के कर्मचारिवृंद उसके मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करे;

(ग) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश को सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रचालन की समाप्ति की सूचना देना;

(घ) अधिनियम के अधीन विहित नियमों एवं समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार परीक्षण उपस्करों की यथार्थता को बनाए रखना;

(ङ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा परीक्षण एवं जारी किये गये प्रमाण-पत्रों का समुचित अभिलेख अनुरक्षित रखना;

(च) उपभोक्ताओं की शिकायतों को समुचित रीति में अभिलिखित करना और उनका निराकरण करना;

(छ) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों का अनुपालन करना;

(ज) यह सुनिश्चित करना कि केवल विहित विनिर्देशों के अनुरूप पाये जाने की दशा में ही बाट या माप ही स्टांपित किये जायें;

(झ) यह सुनिश्चित करना कि सत्यापन स्टाम्प कपटपूर्ण उपयोग से पर्याप्त रूप से संरक्षित हों;

(ञ) यह सुनिश्चित करना कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापन और मुद्रांकन के लिये प्राप्त बाट और माप को सम्यक रूप से सत्यापित करने के पश्चात पंद्रह दिन के भीतर वापस किया जायेगा;

(ट) यह सुनिश्चित करना कि इस नियमावली में यथाविनिर्दिष्ट सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के समस्त कर्तव्यों और दायित्वों का अनुपालन किया जा रहा है।

सत्यापन या पुनः सत्यापन हेतु शुल्क

8—(1) बाट या माप के सत्यापन अथवा पुनः सत्यापन के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को संदेय शुल्क अनुसूची पांच में यथाविहित होगा ।

(2) सत्यापन करने पर अस्वीकृत किया गया कोई भी बाट या माप उपयोगकर्ता को आवश्यक मरम्मत के लिये वापस कर दिया जायेगा और मरम्मत के पश्चात बाट या माप सात दिनों के भीतर, नए सिरे से सत्यापन शुल्क का भुगतान किये जाने पर सत्यापन के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा।

सत्यापन चिन्ह

9—(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र बाट या माप सम्बंधी मूल्यांकन कर लिये जाने के पश्चात और यह समाधान हो जाने पर कि वह अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में दिये गये विनिर्देशों के अनुरूप है, उसे स्टाम्पित करेगा और सत्यापन प्रमाण-पत्र भी जारी करेगा।

(2) सत्यापन चिह्न में निम्नलिखित विशिष्टियां अतंर्विष्ट होंगी, अर्थातः—

(क) ऊपरी अर्धवृत्त में आख्यान यूपी और परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित संकेत संख्या ।

(ख) नीचे वाले अर्धवृत्त में वर्ष की तिमाही के लिये संकेत अक्षर और उस वर्ष हेतु अंतिम दो अंक।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा तृतीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट प्रारूप पर सत्यापन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र प्रत्येक बाट या माप के लिये सत्यापन का पृथक प्रमाण-पत्र जारी करेगा, ताकि प्रमाण-पत्र प्रत्येक एकल उपकरण के अनुरूप हो।

अभिलेखों का निरीक्षण

10—सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक परीक्षण केन्द्र न्यूनतम पांच पूर्ववर्ती कैलेण्डर वर्षों के लिए अपने द्वारा किये गये बाट या माप के सत्यापन के अभिलेख रखेगा और प्रतिधारित करेगा। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा इन अभिलेखों को नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष जब कभी निदेशित किया जाय प्रस्तुत किया जायेगा।

11—सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र या तो अपने प्राधिकृत परिसर में या जिले की क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा। सत्यापन का स्थान

12—नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश या कोई अन्य प्राधिकृत विधिक माप विज्ञान अधिकारी, जब कभी अपेक्षित हो, परीक्षण केन्द्र का भ्रमण कर यह जाँच कर सकता है कि क्या सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र, नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी निर्धारित प्रक्रियाओं और अनुदेशों के अनुसार संचालित हो रहा है। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का पर्यवेक्षण

13—सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये उत्तरदायी प्रधान अधिकारी किसी भी हानि, क्षति अथवा विधिक दावों के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति उत्तरदायी होगा। दायित्व

14—(1) राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अनुमोदन प्रमाण-पत्र में निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी— सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र की विषय—वस्तु

(क) प्रमाण-पत्र का क्रमांक;

(ख) बाट या माप के सत्यापन हेतु रेंज और प्रचालन क्षेत्र;

(ग) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित चिन्ह या संकेत;

(घ) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के बारे में संक्षिप्त विवरण;

(ङ) विशेष शर्तें, यदि कोई हो;

(च) ऐसी अवधि जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है;

(छ) बाट या माप का नाम जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन किया गया है;

(ज) उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिये संपर्क संख्या।

(2) जहां किसी बाट या माप का विशेष उपयोग आशायित है वहां ऐसे बाट या माप के सम्बंध में अनुमोदन प्रमाण-पत्र पर विशेष उपयोग को उपदर्शित किया जायेगा।

(3) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को जारी प्रमाण-पत्र चतुर्थ अनुसूची में यथाविहित प्रारूप में होगा।

(4) नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, विभाग की सरकारी वेबसाइट पर आवश्यक सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र को प्रकाशित करवायेगा।

15—सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित चिन्ह में राज्य की पहचान बताने वाले अक्षर अर्थात उ0प्र0 सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को समनुदेशित संकेत संख्या तथा जारी किये जाने वाले वर्ष के अंतिम दो अंक (उदाहरण के लिए 25) अंतर्विष्ट होगा। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का चिन्ह

16—(1) नियम 14 के उपनियम (3) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को विनिर्दिष्ट बाट और माप के सत्यापन हेतु प्रदान किया गया अनुमोदन प्रमाण-पत्र, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश द्वारा, ऐसे प्रमाण-पत्र धारक की ओर से निम्नलिखित में से कोई लोप या चूक की स्थिति में निलंबित किया जा सकेगाः सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र का निलम्बन

(क) उस बाट या माप को सत्यापित करने में जिससे प्रमाण-पत्र सम्बंधित है, अथवा

(ख) सत्यापन, अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी नियमावली में विनिर्दिष्ट नियमों या मानकों के अनुरूप नहीं किये जाने पर, अथवा

(ग) प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन न किये जाने परः

परन्तु यह कि ऐसा कोई निलम्बन प्रमाण-पत्र धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये बिना नहीं किया जायेगा।

(2) जहां किसी प्रमाण-पत्र को उपनियम (1) के अधीन निलंबित किया गया है, वहाँ ऐसा निलंबन आदेश तब तक निरस्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह लोप या चूक जिसके लिये निलंबन किया गया था, उसका निराकरण नहीं कर लिया जाता है एवं अपराध के लिए शमन राशि, राज्य सरकार को जमा नहीं कर दी जाती है।

17—(1) यदि राज्य सरकार को नियंत्रक की अनुशंसा के आधार पर यह समाधान हो जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा अधिनियम के अधीन बनाये गए नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है या नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान उत्तर प्रदेश द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण पत्र प्रतिसंहरित किया जा सकेगाः सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र को निरस्त किया जाना

परन्तु यह कि ऐसा कोई प्रमाण-पत्र प्रतिसंहरण नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे प्रमाण-पत्र धारक को प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण बताये जाने का अवसर न दिया गया हो।

(2) जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के प्रमाण-पत्र को प्रतिसंहरित किया गया है, वहाँ ऐसे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा तत्काल सत्यापन कार्य बंद कर दिया जायेगाः

परन्तु, यह कि यदि यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र जिसका प्रमाण-पत्र प्रतिसंहरित किया जा चुका है, के द्वारा किसी बाट या माप का सत्यापन किया जाता है तो नियंत्रक, आदेश द्वारा ऐसे बाट या माप के प्रयोग को प्रतिषिद्ध कर सकता हैं और दण्डात्मक कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

(3) अनुमोदन प्रमाण-पत्र के प्रतिसंहरण या निलंबन का प्रत्येक आदेश सम्यक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।

बाट या माप के सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में आवेदन के लिये शुल्क

18—(1) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र हेतु आवेदन के लिए शुल्क एक उपस्कर के लिये प्रतिवर्ष रू0 20,000 होगी।

(2) शुल्क या तो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से अथवा यथा विनिर्दिष्ट माध्यम से जमा किया जायेगा।

(3) नवीकरण हेतु शुल्क उपनियम (1) में यथाविहित होगा।

(4) सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र को प्रदत्त अनुमोदन सरकार द्वारा ऐसे केन्द्र के संतोषजनक कार्य करने के अध्यधीन अनुक्रमिक रुप से एक बार में अनधिक पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत किया जा सकेगा ।

अपराधों का शमन

19—(1)जहां यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने धारा 48 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी उपबंधों का उल्लंघन किया है, वहां ऐसे अपराध को अधिनियम के अधीन यथाविहित शमन किया जा सकेगा।

(2) जहां यह पाया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र ने इस नियमावली में किसी भी नियम का उल्लंघन किया है, वहां ऐसे अपराध को अनधिक रुपये 5,000 शमन शुल्क के भुगतान पर शमित किया जा सकेगा।

प्रथम अनुसूची

[नियम 3 का उपनियम (1) देखें]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा सत्यापित किये जाने वाले बाट और माप निम्नलिखित बाट और माप सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित किए जाएँगेः—

1— जल मीटर

2— स्फिग्मोमैनोमीटर

3— क्लिनिकल थर्मामीटर

4— स्वचालित रेल वेब्रिज

5— टेप मापक यंत्र

6— सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर—स्वचालित तौल यंत्र

7— सटीकता वर्ग IIII के गैर—स्वचालित तौल यंत्र

8— लोड सेल

9— बीम स्केल

10— काउंटर मशीन

11— सभी श्रेणियों के बाट

12— गैस मीटर

13— ऊर्जा मीटर

14— नमी मीटर

15— वाहनों के लिए गति मीटर

16— श्वास विश्लेषक

17— बहुआयामी मापक यंत्र

18— प्रवाह मीटर

द्वितीय अनुसूची

[नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये आवेदन

(1) व्यक्ति/आवेदक का पूरा नाम और पूरा पता;
(2) ऐसे बाट या माप का नाम जिसके लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र में आवेदन किया गया है;
(3) आवेदक के संबंधित क्षेत्र में अनुभव का विवरण;
(4) संगठनात्मक संरचना का विवरण;
(5) प्रधान अधिकारी व अन्य तकनीकी कर्मचारियों की अर्हता;
(6) आवेदक/केन्द्र के पास उपलब्ध मानकों का ब्यौरा और अन्य परीक्षण सुविधाओं का विवरण;
(7) प्रयोगशाला की गुणवत्ता प्रबन्धन प्रणाली की प्रति, यदि उपलब्ध हो;
(8) डिमाण्ड ड्राफ्ट का विवरण;
(9) अधिकारिता/क्षेत्र जिसके लिये आवेदन किया गया है;
(10) उपभोक्ता शिकायत सम्पर्क सूत्र।

आवेदक के हस्ताक्षर

टिप्पणी– प्रत्येक आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों, शर्तों तथा निबंधन के साथ तीन प्रतियों में होना चाहिये। सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के लिये आवश्यक शुल्क डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन भुगतान माध्यम से अथवा नियंत्रक द्वारा विनिर्दिष्ट विधि से नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश के पक्ष में लखनऊ में संदेय होगा।

तृतीय अनुसूची

[नियम 9 का उपनियम (3) देखें]

सत्यापन प्रमाण-पत्र

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र (नाम तथा पता) ____________________
संख्या____________________
अधिकारी का नाम ____________________

मैं, एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि मैंने नीचे उल्लिखित बांटों, मापों आदि की जांच आज तारीख ____________________ को सत्यापित और स्टांपित / निरस्त किया है।____________ से सम्बन्धित ____________________ क्षेत्र

मात्रा	अभिधान		तौलन वाले उपकरण				मापने वाले उपकरण	सत्यापन फीस	वहन–वाहन, समायोजन प्रभार आदि
	बाट	माप	क्षमता	श्रेणी	विनिर्माता	प्रकार			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कुल रुपये ____________________ शुल्क रसीद सं0 ____________
____________ दिनांक____________________ द्वारा जमा किया गया
____________________ के द्वारा मरम्मत की गई / प्रयोग में लाया गया।

हस्ताक्षर
प्रधान अधिकारी

अगली सत्यापन तिथि ______________________________________ को नियत

टिप्पणी– निरस्त किये गये बांट, माप आदि के मामले में प्रधान अधिकारी प्रत्येक मद के सम्मुख निरस्त किये जाने के कारणों का उल्लेख करते हुये एक पृथक निरस्त प्रमाण-पत्र देगा।

———

चतुर्थ अनुसूची

(नियम 14 देखें)

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का प्रमाण-पत्र

उत्तर प्रदेश सरकार

उपभोक्ता मामले विभाग

विधिक माप विज्ञान विभाग

सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का अनुमोदन प्रमाण-पत्र

(विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 की धारा 24 के अधीन)

सं0 डब्लयू0 एम0 ________________________ (1)/2025 लखनऊ, दिनांक_______________2025

सत्यापित किया जाता है कि मैसर्स ____

(राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र का नाम तथा पता) को निम्नलिखित बाटों तथा मापों (विभिन्न प्रकार सहित) के सत्यापन हेतु ________________________ (स्थान/जिले का नाम) के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र के रूप में अनुमोदित कर दिया गया हैः–

(एक) ________________________

(दो) ________________________

(तीन) ________________________

प्रमाण-पत्र संख्या–यूपी जीएटीसी ________________________

(समनुदेशित किये गये कोड) ________________________

विशेष शर्त, यदि कोई हो ________________________

उपभोक्ता शिकायत निवारण के लिये संपर्क नंबर________________________

वैधता तिथि ________________________

नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान,

उत्तर प्रदेश।

पंचम अनुसूची

[नियम 8 का उपनियम (1) देखे]

सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केंद्र को देय फीस

क्रम	मद	सत्यापन शुल्क(रु0 / ₹ में)
1	जल मीटर	(एक) घरेलू जल मीटर के लिए 250.00 रुपये (दो) वाणिज्यिक जल मीटर के लिए 1000.00 रुपये (तीन) औद्योगिक जल मीटर के लिए 2500.00 रुपये
2	स्फिग्मोमैनोमीटर	100.00 रुपये प्रति स्फिग्मोमैनोमीटर
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	50.00 रुपये प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर
4	टेप मेजर	(एक) वर्ग–1: 2.00 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग (दो) वर्ग–2: 1.00 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग (तीन) वर्ग–3: 0.50 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग
5	सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर–स्वचालित तौल उपकरण	(एक) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रुपये (दो) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रुपये
6	सटीकता वर्ग IIII के गैर–स्वचालित तौल उपकरण	(एक) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रुपये (दो) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रुपये
7	लोड सेल	(एक) 5 किलोग्राम तक 2000.00 रुपये (दो) 5 किलोग्राम से ऊपर और 100 किलोग्राम तक 5,000.00 रुपये
8	बीम स्केल	(एक) 5 किलोग्राम तक 500.00 रुपये (दो) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रुपये
9	काउंटर मशीन	(एक) 5 किलोग्राम तक 500.00 रुपये (दो) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रुपये
10	सभी श्रेणियों के बाट	(एक) ई$_1$ वर्ग के लिए फीस: (क) 1मि0ग्रा0 से 200 ग्राम (राइडर सहित 22 टुकड़े): 15,000 रुपये (ख) मिश्रित बाट (प्रति बाट): क– 10 किलोग्राम तक 1,000 रुपये ख– 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक 2,000 रुपये (दो) ई$_2$ वर्ग के बाट के लिए फीस ई1 वर्ग के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आधा होगी (तीन) एफ$_1$ वर्ग के बाट के लिए फीस ई$_1$ वर्ग के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का एक चौथाई होगी (चार) एफ$_2$ वर्ग के बाट के लिए फीस ई$_1$ वर्ग के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आठवां हिस्सा होगी (पांच) बुलियन बाट: (क) 1 ग्राम से 500 ग्राम: 25 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से ऊपर 10 किग्रा तक: 50 रुपये प्रति बाट (छः) कैरेट बाट: 50 रुपये प्रति बाट (सात) बेलनाकार घुंडी प्रकार का बाट: (क) 1 ग्राम से 500 ग्राम: 10 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से ऊपर 10 किग्रा तक: 25 रुपये प्रति बाट (आठ) शीट धातु बाट (बुलियन के अतिरिक्त): 1 मिग्रा से 500 मिग्रा: 25 रुपये प्रति बाट

क्रम	मद	सत्यापन शुल्क(रु0 / ₹ में)
		(नौ) लोहे के षट्कोणीय, घुंडी प्रकार के बाट और समानांतर षट्फलक बाटः (क) 1 ग्राम से 500 ग्रामः 10 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से ऊपर10 किलोग्राम तकः 25 रुपये प्रति बाट (ग) 10 किलोग्राम से ऊपर 50 किलोग्राम तकः 50 रुपये प्रति बाट (दस) उच्च मूल्यवर्ग भारः (क) 50 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तकः 1000 रुपये (ख) 1000 किलोग्राम से ऊपर 5000 किलोग्राम तकः 1500 रुपये
11	गैस मीटर	(एक) घरेलूः 500.00 रुपये (दो) वाणिज्यिकः 2000.00 रुपये (तीन) औद्योगिकः 5000.00 रुपये
12	ऊर्जा मीटर	(एक) घरेलूः 1000.00 रुपये (दो) वाणिज्यिकः 3000.00 रुपये (तीन) औद्योगिकः 5000.00 रुपये
13	नमी मीटर	2500 रुपये
14	वाहनों के लिए गति मीटर	1500 रुपये
15	श्वास विश्लेषक	2500 रुपये
16	बहुआयामी माप उपकरण	3600 रुपये
17	फ्लो मीटर	(एक) 100 मिमी तकः 5000.00 रुपये (दो) 100 मिमी से अधिकः प्रत्येक 25 मिमी के लिए 5000.00 रुपये+ 1000.00 रुपये तक ।

ऐसे बाट या माप के प्रकार जिनके लिए इस अनुसूची में शुल्क विहित नही है, उनके लिए शुल्क उत्तर प्रदेश विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली, 2011 के अधीन विहित होगी।

आज्ञा से,
रणवीर प्रसाद,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. I/1397083/2026/LXXXIV-1099/24–2025, dated July 15, 2026 :

No. I/1397083/2026/LXXXIV-1099/24–2025

Dated Lucknow, July 15, 2026

The following draft rules which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under sub-section (1) and Clause (e) of sub-section (2) of Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (Act no.1 of 2010) are hereby published for information of all concerned and with a view to invite objections or suggestions in respect thereof as required under sub-section (4) of Section 53 of the aforesaid Act;

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed rules may be sent in writing addressed to the Principal Secretary, Consumer Affairs Department, Section-1, Government of Uttar Pradesh, Lucknow. Only such objections or suggestions shall be taken into consideration as are received within 15 days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

DRAFT RULES

THE UTTAR PRADESH LEGAL METROLOGY (GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE) RULES, 2026

CHAPTER-I

PRELIMINARY

Short title and commencement

1.(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official *Gazette*.

Definitions

2. (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the Legal Metrology Act, 2009 (Act no. 1 of 2010) ;

(b) "Government Approved Test Centre" means a person who has been approved by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh to undertake verification of weights or measures specified in these rules ;

(c) "Principal Officer" means the officer who is in-charge of Government Approved Test Centre;

(d) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.

(2) Words and expressions used herein and not defined in these rules but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the said Act.

CHAPTER-II

Verification of Weights and Measures in Government Approved Test Centre

General Provisions relating to Government Approved Test Centre

3. (1) Weights or Measures as specified in the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 as amended from time to time and as specified in the First Schedule, shall either be verified by a Government Approved Test Centre or by the Legal Metrology Officers.

(2) The list of recognized Government Approved Test Centers shall be notified in the Official *Gazette* as per section 24(3) of the Legal Metrology Act, 2009.

(3) The Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh may, by general or special order, specify the mode of providing services of verification by Government Approved Test Centre.

(4) The Government Approved Test Centre shall maintain standard weights or measures as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011, and other instruments and equipment as advised by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh.

CHAPTER-III

Approval of Government Approved Test Centre

Approval of Government Approved Test Centre

4. (1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified herein shall submit an application to the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh in the Form specified in the Second Schedule.

(2) The Controller, with his recommendation, shall forward it to the State Government and the State Government, after considering recommendations of the Controller, may approve or reject it.

(3) The State Government may delegate its power of approval to the Controller or to any other officer as it may deem fit.

(4) While making recommendation for approval of a Government Approved Test Centre, the Controller, Legal Metrology shall consider the following:-

(a) availability and accessibility of land and building;

(b) adequacy of measuring equipments, testing facilities and other infrastructure;

(c) availability of technically qualified manpower;

(d) capacity for efficient and timely service to customers;

(e) mechanism for grievance redressal with contact number;

(f) willingness to get equipment periodically verified by secondary standard laboratory or any other agency specified by Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh;

(g) willingness to train its employees in institutions nominated by the Director Legal Metrology, Government of India;

(h) any other factor, which in the opinion of the Controller, Legal Metrology shall affect proper functioning of the Government Approved Test Centre.

Terms and Conditions to operate Government Approved Test Centre

5. (1) Non-standard weight or measure shall not be verified by the Government Approved Test Centre.

(2) Government Approved Test Centre shall verify the weights and measures which are submitted with requisite fee of verification with an application indicating therein,—

(a) name and full address of manufacturer or importer or dealer or user;

(b) location of the factory or premises in which such weights or measures is manufactured or imported or intended to be used;

(c) maximum and minimum capacity, 'e' or 'd' value, accuracy class of weight or measure, to be verified.

(3) After verification, the Government Approved Test Centre shall issue the certificate of verification.

(4) The certificate of verification shall remain valid for the period as specified in the Legal Metrology (General) Rules, 2011 and shall be renewed for such period on payment of prescribed fee.

(5) Every Government Approved Test Centre shall submit to the State Government, at the end of the calendar year, a statement as to the number of the weights and measures verified.

(6) The Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh will issue a specific code number to each Government Approved Test Centre for easy identification and records.

(7) In case of non-fulfillment of eligibility conditions, the State Government shall reject the application and send a written communication to the applicant, to this effect.

(8) The Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh, or the officers authorized by him in this behalf, may visit the Government Approved Test Centre as and when required and the Principal Officer shall permit inspections and render all assistance for the purpose including the production of records with regard to verification of weights and measures.

(9) The Principal Officer shall submit a quarterly report to the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh in respect of the weights and measures verified by him, the fee collected, time taken for each testing and such other relevant information, as required.

(10) The Principal Officer, while verifying the weights and measures, shall follow the procedure laid down in the Legal Metrology (General) Rules, 2011.

(11) The competent authority may require Government Approved Test Centre to take out third party liability insurance, as the case may be, sufficient to cover any claim for damage due to any lapses or non-compliance of Government instructions by such Government Approved Test Centre.

CHAPTER-IV

Other Provisions related to Government Approved Test Centre

Qualifications and experience of Principal Officer

6. (1) Qualifications of Principal Officer of Government Approved Test Centre shall be as specified under the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, as amended from time to time, prescribed by the Government of India.

(2) Experience of Principal Officer of Government Approved Test Centre shall be as specified under the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, as amended from time to time, prescribed by the Government of India.

Duties of the Principal Officer

7. The Principal Officer of the Government Approved Test Centre shall have the following duties and responsibilities, namely:-

(a) to establish and operate the Government Approved Test Centre as an independent unit;

(b) to ensure that the staff of the Government Approved Test Centre carry out their duties under his guidance and supervision;

(c) to inform the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh of cessation of operation of the Government Approved Test Centre;

(d) to maintain the accuracy of testing equipments as per rules prescribed under the Act, and directions issued from time to time;

(e) to maintain proper records of testing and certificates issued by Government Approved Test Centre;

(f) to record and redress grievances of customers in appropriate manner;

(g) to abide by the directions issued by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh from time to time;

(h) to ensure that only weights or measures conforming to prescribed specification, are stamped;

(i) to ensure that verification stamps are adequately protected against fraudulent use;

(j) to ensure that the weights and measures received for verification and stamping are returned back by the Government Approved Test Centre, after due verification, within fifteen days ;

(k) to ensure that all the duties and liabilities of the Government Approved Test Centre, as specified in these rules, are complied with.

Fee for verification or re-verification

8. (1) The fee payable to Government Approved Test Centre for verification or re-verification of weights or measures shall be as prescribed in Fifth Schedule.

(2) Any weight or measures rejected on verification shall be returned to the user for necessary repair, and after repair, the weight or measure within seven days, may be accepted for verification on payment of verification fee afresh.

Mark of verification

9. (1) The Government Approved Test Centre, after carrying out metrological evaluation of weight or measure and on being satisfied that the same conforms to specification laid down under the Act and rules made there under, shall stamp the same, and also issue a certificate of verification.

(2) The verification mark shall contain the following particulars, namely:-

(a) the legend "UP" and the code number assigned to the test centre in the upper half of the circle;

(b) code letter for the quarter of the year and last two digits for the year in the lower half of the circle.

(3) The certificate of verification shall be issued, on the proforma, as specified in Third Schedule, by the Government Approved Test Centre.

(4) The Government Approved Test Centres shall issue a separate certificate of verification for each weight or measure, such that the certificate conforms to individual instruments.

Inspection of records

10. Every Government Approved Test Centre shall keep and retain records, for at least five preceding calendar years, of verification of weight or measures carried out by them. These records shall be produced by the Government Approved Test Centre before the Controller Legal Metrology, Uttar Pradesh, or any officer authorized by him, as and when directed.

Place of verification

11. The Government Approved Test Centre shall undertake verification of weights or measures either in its authorized premises or within the territorial limits of the district.

Supervision of Government Approved Test Centre

12. The Controller Legal Metrology, Uttar Pradesh or any other authorized Legal Metrology Officer may visit the Government Approved Test Centre, as and when required, to examine whether the Government Approved Test Centre is being run as per the laid down procedures and instructions issued by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh.

Liability

13. The Principal Officer responsible for the Government Approved Test Centre shall be liable to the Government of Uttar Pradesh for any loss, damage, legal claims.

Contents of Government Approved Test Centre certificate

14. (1) Every certificate of approval issued by the State Government shall contain the following information:-

(a) the serial number of the certificate;

(b) range for verification of weight or measures and area of operation;

(c) the mark or code assigned to the Government Approved Test Centre;

(d) a brief statement about the Government Approved Test Centre;

(e) the special conditions, if any;

(f) period for which the Government Approved Test Centre is approved;

(g) name of weight and measure for which Government Approved Test Centre has been approved;

(h) contact number for consumer's grievance redressal.

(2) Where any weight or measure is intended for a special use, the certificate of approval in relation to such weight or measure shall indicate the special use.

(3) The Certificate issued to the Government Approved Test Centre shall be in the format as prescribed in Fourth Schedule.

(4) The Controller Legal Metrology, Uttar Pradesh shall cause the necessary Government Approved Test Centre certificate to be published on the official website of the department.

Mark to Government Approved Test Centre

15. The mark assigned to the Government Approved Test Centre shall contain the State Identification Letters, namely,— UP, the code number assigned to the Government Approved Test Centre and the last two digits of the year of the issue. (for example, 25).

16. (1) The certificate of Government Approved Test Centre granted under sub-rule (3) of Rule 14, for verification of specified weights and measures may be suspended by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh in the event of the omission or failure of the following on the part of the holder of such certificate:- Suspension of certificate of Government Approved Test Centre

(a) to verify the weights or measures in accordance to which the certificate relates; or

(b) verification not conforming to the rules or standards specified in the Act and rules made there under; or

(c) non-compliance with the conditions specified in the certificate:

Provided that no such suspension shall be made except after giving to the holder of the certificate an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where any certificate has been suspended under sub-rule (1), the order of suspension shall not be vacated unless the omission or failure, for which such suspension was made, has been complied with and the sum of compounding for the offence has been deposited to the State Government.

17. (1) Certificate of Government Approved Test Centre may be revoked if the State Government is satisfied on the recommendation of Controller, that the Government Approved Test Centre, no longer complies with the provisions specified in the rules made under the Act, or specifically violates the directions given by the Controller, Legal Metrology, Uttar Pradesh from time to time: Revocation of certificate of Government Approved Test Centre

Provided that no such certificate shall be revoked unless the holder of such certificate has been given an opportunity of showing cause against the proposed action.

(2) Where the certificate of Government Approved Test Centre has been revoked, the verification work shall be stopped by that Government Approved Test Centre immediately:

Provided that if it is found that the verification of any weight or measure is conducted by the Government Approved Test Centre whose certificate has been revoked, the Controller may, by order, prohibit the use of such weight or measure and initiate penal action.

(3) Every order of revocation or suspension of certificate of approval shall be duly notified.

18. (1) Fee for applying for Government Approved Test Centre shall be Rs. 20,000.00 for one equipment per year. Fee for applying for Government Approved Test Centre of weights or measures.

(2) The fee shall be deposited either by demand draft or through online payment mode or as specified.

(3) The fee for renewal shall be the same as prescribed in sub-rule (1).

(4) The approval granted to Government Approved Test Centre may be renewed for a period not exceeding five years at a time subsequently by the State Government subject to the satisfactorily functioning of such Centre.

19. (1) Where it is found that the Government Approved Test Centre has contravened any of the provisions specified in the sub-section (1) of section 48, such an offence may be compounded as prescribed under the Act. Compounding the offences

(2) Where the Government Approved Test Centre contravenes any of these Rules, such an offence may be compounded on payment of compounding fee which shall not exceed Rs. 5000.00

FIRST SCHEDULE

(See* sub-rule (1) of Rule 3*)

WEIGHTS AND MEASURES TO BE VERIFIED BY GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

The following weights and measures shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer
4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (up to 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters.

SECOND SCHEDULE

(See sub-rule (1) of rule 4)

APPLICATION FOR APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

(1) Full name and complete address of the person/applicant;

(2) Name of the weight or measure for which Government Approved Test Centre has been applied;

(3) Experience detail in the relevant field of the applicant;

(4) Detail of organizational structure;

(5) Qualification of Principal Officer and other technical staff;

(6) Detail of the standards available and other testing facilities available with the applicant/centre;

(7) Copy of the Quality management system of the laboratory, if available;

(8) Details of the Demand Draft;

(9) Jurisdiction/area for which application is made;

(10) Consumer complaint number;

Signature of Applicant

Note- Every application shall be in triplicate, accompanied by complete documents and terms and conditions. The required fee will be paid either by Demand Draft or online payment mode or as specified by the Controller, in favor of "Controller Legal Metrology Uttar Pradesh", payable at Lucknow.

THIRD SCHEDULE

(See** sub-rule (3) of Rule 9**)

CERTIFICATE OF VERIFICATION

Government Approved Test Centre (Name and Address)…….................…………..

No……………......…..

Name of the Officer ………………........…………………

I hereby certify that I have this day verified and stamped/ rejected the under mentioned weights, measures, *etc*.

Belonging to …………………....……..Locality …………………..

Quantity	Denomination		Weighing instruments			Measuring instruments	Verification Fee	Carriage conveyance, adjusting charges etc.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Total Rs. ..………..deposited vide Money receipt No. ………dated …………Repaired by/Used by

………………..(Signature)

Next verification due on ………… Principal Officer

Note: In the case of rejected weights, measures, etc. the principal officer shall give a separate Certificate of rejection mentioning the reasons of rejection against each item.

FOURTH SCHEDULE

(See** Rule 14**)

CERTIFICATE OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

CONSUMER AFFAIRS DEPARTMENT

DEPARTMENT OF LEGAL METROLOGY

CERTIFICATE OF APPROVAL OF GOVERNMENT APPROVED TEST CENTRE

[Under Section 24 of the Legal Metrology Act, 2009]

No. WM- ..... (1)/2025 LUCKNOW, Dated- 2025

Certified that M/s...

.... (Name and address of Government Approved Test Centre) has been approved as Government Approved Test Centre for .... (Name of place / district) for the verification of following weights and measures with their ranges:

(i) ....

(ii) ....

(iii) ....

Certificate No: UP/GATC/.......

Mark of code assigned: ....

Special Condition, if any: ....

Contact number for consumer redressal: ......

Valid up to: ....

Controller, Legal Metrology,
Uttar Pradesh.

FIFTH SCHEDULE

(See sub-rule (1) of Rule 8***)***

FEE PAYABLE TO TEST CENTRE FOR VERIFICATION OR RE-VERIFICATION

Sr. No.	Item	Verification fees (in Rs./₹)
1	Water meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters
2	Sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer
3	Clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer
4	Tape measures	(i) Class 1: Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II: Rs. 1.00 per meter or part thereof (iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof
5	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (up to 150kg)	(i) Rs. 2000.00 up to 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and up to 150 kg
6	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class III	(i) Rs. 2000.00 up to 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and up to 150 kg
7	Load cell	(i) Rs. 2000.00 up to 5 kg (ii) Rs. 5,000.00 above 5 kg and up to 100kg
8	Beam scale	(i) Rs.500.00 up to 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
9	Counter machine	(i) Rs. 500.00 up to 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
10	Weights of all category	(i) Fees for E_1 Class (A) 1 mg to 200g (22 pieces including rider): Rs. 15,000 (B) Assorted weights (per weight) (a) Rs. 1,000 up to 10 kg (b) Rs. 2,000 above 10 kg up to 50 kg (ii) Fees for E_1 class weights will be one half the fees specified for E_1 class weights (iii) Fees for F_1, class weights will be one fourth the fees specified for E_1, class weights (iv) Fees for F_2 class weights will be one eighth the fees specified for E_1 class weights (v) Bullion weights (A) 1 g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion) 1 mg to 500 mg: Rs. 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g. Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500

11	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
12	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
13	Moisture meters	Rs. 2500
14	Speed meters for vehicles	Rs. 1500
15	Breath analyzers	Rs. 2500
16	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600
17	Flow meters	(i) Up to 100 mm: Rs. 5000.00 (ii) Above 100 mm : Rs. 5000+Rs. 1000.00 for every 25 mm.

For kinds of weights or measures for which fee is not prescribed in this Schedule, the same shall be as prescribed under Uttar Pradesh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011.

By order,
RANVIR PRASAD,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 425 राजपत्र–2026–(908)–599 प्रतियां (डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।

425 RPH 2026 (Upbhokta Mamle -1) data 1e